भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2523

09 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

नई मूल्यवर्धन परियोजनाएं

2523. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री रंजीतसिन्हा हिन्दूराव नाईक निम्बालकरः
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री एस.सी. उदासीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि क्षेत्र में विभिन्न मूल्यवर्धित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में समुचित मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(ख) समेकित शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन के लिए योजना के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या हैः और
(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार स्वयं कृषि बागवानी उत्पादों के मूल्य वर्धन के लिए परियोजनाएं स्थापित नहीं करती है। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता के द्वारा ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करती है, नामत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग **(डीओएसी एंड एफडब्ल्यू)** का मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट (एमआईडीएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)। ये योजनाएं उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूह आदि के बीच से मांग/उद्यमी संचालित हैं । वर्ष 2018-19 के दौरान और बाद के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र सहित एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन के लिए योजना में अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **संलग्नक-II** में दी गई है।

(घ): मंत्रालय के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। मंत्रालय संयुक्त सचिव और सचिव के स्तर पर प्रमोटरों के साथ परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करता है। मंत्री (एफपीआई) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति द्वारा भी परियोजनाओं की निगरानी भी की जाती है। मंत्रालय साजो-सामान और जनशक्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता है, जो कोविड जैसी समस्याएं पैदा करता है।

*****

संलग्नक-I

नई मूल्यवर्धन परियोजनाओं के बारे में लोक सभा में दिनांक 9 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के भाग-क के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

स्कीम	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (एमओएफपीआई की)			
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी)	17	14	22
बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजेज (बीएफएल)	54	1	8
खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) (इकाई योजना)	84	123	50
एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना	44	15	46
मेगा फूड पार्क (एमएफपी)	-	2	-
ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)	2	3	1
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (डीओएसी और एफडब्ल्यू)			
प्राथमिक/मोबाइल/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई	723	464	179
एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली	16	26	0
कोल्ड स्टोरेज	116	17	22

संलग्नक-II

दिनांक 9 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के भाग-ख और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

राज्य/संघ शासित राज्य	कुल परियोजनाएं	चल रही परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं
आंध्र प्रदेश	**24**	**17**	**7**
अंडमान निकोबार	**1**	**1**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	**1**	**0**	**1**
असम	**2**	**0**	**2**
बिहार	**6**	**4**	**2**
छत्तीसगढ़	**2**	**0**	**2**
गुजरात	**25**	**6**	**19**
हरियाणा	**16**	**6**	**10**
हिमाचल प्रदेश	**16**	**6**	**10**
जम्मू-कश्मीर	**7**	**3**	**4**
कर्नाटक	**15**	**5**	**10**
केरल	**6**	**3**	**3**
मध्य प्रदेश	**9**	**5**	**4**
महाराष्ट्र	**62**	**10**	**52**
मणिपुर	**1**	**0**	**1**
मिजोरम	**2**	**0**	**2**
नागालैंड	**2**	**1**	**1**
ओड़िशा	**3**	**1**	**2**
पंजाब	**21**	**5**	**16**
राजस्थान	**13**	**3**	**10**
तमिलनाडु	**17**	**8**	**9**
तेलंगाना	**11**	**6**	**5**
उत्तर प्रदेश	**23**	**7**	**16**
उत्तराखंड	**27**	**5**	**22**
पश्चिम बंगाल	**12**	**4**	**8**
कुल	**324**	**106**	**218**